प्ररूप 'ख'
(नियम 8(2) एवं (3) देखिए)
कार्यालय विहित प्राधिकारी, उप खण्ड अधिकारी, चिड़ावा

संपरिवर्तन आदेश

श्री के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि का राजस्थान भू– राजस्व (ग्रामीण) क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 के नियम 8(2)एवं 8(3) के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टिया नीचे दी गई है:–

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता / पति के नाम सहित तथा पूरा पत्ता — सचिव सरस्वती विद्या मन्दिर (संस्था) जपसिंहवास पो. लोटिया ✓

2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है:– संस्था

3. संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा
(क) ग्राम, ग्राम पंचायत व तहसी का — ग्राम जपसिंहवास में स्थित भूमि ख.न. $\frac{52}{2}$ रकबा 0.33 हे. में से 3000 वर्गमीटर
(ख) भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक खसरा सं का क्षेत्रफल (हैक्टर में):–
(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टर / वर्गमीटर में): ख.न. $\frac{52}{2}$ रकबा 0.33 हे. में से 3000 वर्ग मी. का रूपान्तरण

टिप्पणी– अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुये, राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।

4. वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार ग्राम की जनसंख्या– 919

5. संपरिवर्तन का प्रयोजन– वाणिज्यक- महाविद्यालय बनाने हेतु

6. संदेय प्रीमियम की दर :– 1000×8 = 8000/रु., 2000×4 = 8000/रु.

7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करवाई गई प्रीमियम की रकम– कुल = 16000/- रु. मात्र

8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, की जमा करवाई गई रकम :– Ch. No- 596, 597 दिनांक 16/2/06 से जमा

9. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज , यदि कोई हो, की जमा करवाई गई रकम :– 8000 + 8000 = 16000/-

10. क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हैं :– –

11. अन्य विशिष्टियां , यदि कोई हो :– –

12. उपर्युक्त संपरिवर्तत आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:– –

1. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा
2. यदि आवेदक इस आदेश को जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत हो जायेगी ।
3. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा ।
4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।

विहित प्राधिकारी
उप खण्ड अधिकारी, चिड़ावा
दिनांक 18/2/06

क्रमांक/भू.रू. /2006/1054 - 1057
प्रतिलिपि–

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, झुंझुनू ।
2. तहसीलदार, चिड़ावा को राजस्व रिकॉर्ड में अक्ल दरामद हेतु, राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की प्रति सहित प्रेषित है।

—: संपरिवर्तन आदेश :—

सचिव सरस्वती विद्या मन्दिर संस्था जयसिंहवास पो0 लोटिया जरिये सचिव सुरेश कुमार पुत्र बनवारी लाल निवासी खेदड़ों की ढाणी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राजस्थान के आवेदन पर आवेदकों की खातेदारी में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षैत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9(1) के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिर्वन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है :—

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	सचिव सरस्वती विद्या मन्दिर संस्था जयसिंहवास पो0 लोटिया जरिये सचिव सुरेश कुमार पुत्र बनवारी लाल निवासी खेदड़ों की ढाणी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राजस्थान
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	नहीं
3.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	
	(क)ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	जयसिंहवास/धिंगडिया/सूरजगढ़
	(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	ख0न0 52 रकबा 0.65 हैक्टर
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	ख0न0 52 रकबा 0.65 हैक्टर में से 6500 वर्गमीटर
	टिप्पणीः—(अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	संलग्न है।
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थागत
5.	संदेय प्रीमियम की दर	विक्रय विलेख का 10 प्रतिशत
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	जीआरएन नं.48050248 दिनांक 02.03.2021 राशि 179560/— रूपये
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	शुन्य
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो,की जमा कराई गई राशि	शुन्य
9.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधिन जारी किया गया है?	नही
10.	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डो के अनुसार भूमि छोडते हुए।

पेज न0 2.... लगातार

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित भार्तो के अध्यधीन होगा :–

01. इण्डियन रोड़ कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार वर्णित सड़कों के मध्य से निर्धारित दूरी एवं बिल्डिंग लाईन हेतु निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् ही संपरिवर्तन की कार्यवाही की गई समझी जावे।

02. *यदि प्रार्थी इण्डियन रोड़ कांग्रेस के मापदण्डों में वर्णित सडक मार्ग से रास्ता चाहते हैं,तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहता है, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होंगी ।*

03. *निकटस्थ नगरपालिका/स्थानीय निकाय की उप विधियों के निर्माण बाबत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही निर्माण कराया जा सकेगा। नई टाउनशिप पॉलिसी में निर्धारित मापदण्डों की पालना करनी होगी।*

04. *ठोस कचरा प्रबन्धन की ब्यवस्था प्रार्थी अपने स्तर पर सुनिश्चित करेगा। पर्यावरण मानदण्ड की पालना करनी होगी एवं प्रदूषण नियंत्रण के समुचित उपाय सुनिश्चित किये जायेंगे। सुरक्षा के उचित मानदण्ड व अग्निशमन यंत्र आदि की व्यवस्था करनी होगी।*

05. *सम्बन्धित ग्राम पंचायत के नियमों का पालन किया जावेंगा तथा वातावरण को स्वच्छ रखना होगा।*

06. *यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर* **या राज्य सरकार के नियम 14 के अन्तर्गत बढाई गई कालावधि के भीतर** *संपरिवर्तित* **भूमि का उपयोग करने मे विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहूत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराई गई प्रीमियम राशि समप्रहत हो जावेगी।**

07. *उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया* जायेगा।

08. *नियम–4 में वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।*

09. *लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।*

10. *भू स्वामित्व की जॉच का पूर्ण अधिकार राजस्व विभाग को होगा।*

11. *प्रार्थी द्वारा रूपान्तरित भूमि पर निर्माण कार्य कर जल प्रवाह को बाधित नहीं किया* **जायेगा।**

12. *राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांकः 4–6(6)राज.–6/92/पार्ट/23 दिनांक 17.7.*2017 *की पालना सुनिश्चित की जावेगी।*

13. संयुक्त भाासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन नंबर एफ. 6(26)राजस्व 6/2014/33 जयपुर दिनांक 06.10.2016 के नियम 19 बी की पालान सुनि चत करनी होगी।

14. **आवेदक को पेड़ हटाने की अनुमति इस भार्त पर दी जायेगी कि वह हटाये गये पेड़/पेड़ो के** *बदले* 3 गुणा छायांदार/घने वृक्ष पौधारोपित करेंगा। ***यदि आवेदक इसमें असफल रहता है तो रुपये*** 500 प्रति वर्ष प्रति वृक्ष शास्ति के रूप में राजस्व मद में जमा कराने का उतरदायी होगा।

15. निर्माण कार्य शुरु करने से पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

16. निर्माण कार्य शुरु करने से पहले प्रदूशण विभाग से अनुमति लेनी होगी।

17. *आवेदक को बिना आपत्ति के प्रकरण से सम्बन्धित आदेश व उक्त शर्तों की पालना करनी होगी तथा यदि भविश्य में कोई राशि देय बनती हो तो जमा कराने के लिये बाध्य होगा।*

प्राधिकृत अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ)

क्रमांक –राजस्व/2021/ 61-65 *दिनांक :* 03.03.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:–

01. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय झुंझुनूं।

02. तहसीलदार,सूरजगढ को ब्लू प्रिन्ट नक्शा की प्रति सहित।

03. सरपंच ग्राम पंचायत धिंगडिया, समिति सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।

04. श्री सरस्वती विद्या मन्दिर संस्था जयसिंहवास पो0 लोटिया सचिव सुरेश कुमार पुत्र बनवारी लाल निवासी खेदड़ों की ढाणी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राजस्थान

05. रक्षित पत्रावली।

प्राधिकृत अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ)